भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3426

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंग

†3426. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने हानिकारक रसायनों जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं के कारण कबाब, मछली, चिकन और शाकाहारी व्यंजनों में कृत्रिम खाद्य रंगों पर प्रतिबंध लगा दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को हांगकांग सरकार द्वारा 2020 में शुरू किए गए खाद्य पदार्थों में रंग संबंधी नियमों की जानकारी है, यदि हां, तो इसी तरह के कानून को लागू करने के संबंध में सरकार का क्या रुख है;
(ग) यदि नहीं, तो ऐसी जागरूकता की कमी के क्या कारण हैं; और
(घ) सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाद्य उत्पादों में कृत्रिम रंगों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार किए गए/प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, प्रदायगी, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है।

एफएसएसएआई, वर्ष 2020 में प्रकाशित, हांगकांग सरकार के खाद्य विनियमों में रंगों के मामलों के रंजक द्रव्य (कलरिंग मैटर) के बारे में जानकारी है। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 को अधिसूचित किया है, जिसमें विभिन्न खाद्य श्रेणियों में खाद्य रंगों के उपयोग से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। खाद्य रंगों की सुरक्षा और उनके उपयोग की सीमा

कोडेक्स के अनुरूप निर्धारित की गई हैं। किसी भी गैर-अनुमत रंग का उपयोग एफएसएस विनियमों का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 19 के अनुसार, किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई खाद्य योजक या प्रसंस्करण सहायक पदार्थ नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप न हो।

इसके अलावा, विक्रेताओं द्वारा बेचे जा रहे तैयार खाद्य पदार्थों, जैसे कि सब्जी, चिकन और मछली कबाब, में किसी भी रंग/योजक के प्रयोग की अनुमति नहीं है। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 की धारा 29 के अनुसार, राज्य प्राधिकरण, एफएसएस अधिनियम में निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार जन स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।

एफएसएसएआई, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में निर्धारित मानकों के अनुपालन की जाँच हेतु खाद्य उत्पादों की निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूना-चयन करता है। यदि खाद्य नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो दोषी खाद्य व्यवसाय प्रचालकों के विरुद्ध एफएसएस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

*****